RTI-5339/DSPM/
12/7

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक : 9/7/ 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री विकास शर्मा का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री विकास शर्मा के दिनांक 26/6/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ प्रधान मन्त्री कार्यालय से अंतरण द्वारा दिनांक: 3/7 /2013 को प्राप्त) को डी.एम. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क प्रधान मन्त्री कार्यालय में ~~दिनांक....../....../2013 की रसीद सं.................. के तहत~~ जमा कर दिया है ~~(संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

TO(DM)
12/7

सेवा में

निदेशक (डी.एम.)
गृह मन्त्रालय, एन.डी.सी.सी.-II भवन
जयसिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री विकास शर्मा
1520, श्री चण्डी रोड, कृष्णगंज
पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश-245304

12/7
h. Balesh

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

C-128350/JS(A)/13

P-3908/HS/13
02.07.

03-07-2013

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/3024/2013-पीएमआर

दिनांकः 01.07, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विाय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री विकास शर्मा से प्राप्त दिनांक 26.06.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.6.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

4396/RTI/2013
8/7/13

(सैयद ईकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

पैरा संख्या 1,4 और 5 के संगतअंश और 2, 3 एवं 6 के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री विकास शर्मा
1520 श्री चण्डीरोड
कृष्णगंज
पिलखुआ
हापुड़
उत्तर प्रदेश- 245 304

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।इस कार्यालय के संबंध में सूचना कालान्तर में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आपको यह सूचित किया जाता है कि यह अनुरोध, अधिनियम की धारा 7(1) के उपबंध (जीवन और स्वतंत्रता अनुच्छेद) के लागू होने के पर्याप्त आधार नहीं बनते हैं, इसलिए, आवेदन-पत्र पर अधिनियम विनिर्दिष्ट सामान्य समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आप केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिनांक 27.7.2006 को श्री राहुल मनगांवकर बनाम प्रधान मंत्री कार्यालय के मामले में अपील संख्या सीआईसी/डब्ल्यूबी/सी/2006/00069 दिनांक 20.4.2006 में दिए गए अंतरिम निर्णय का संदर्भ ले सकते हैं जिसमें आयोग ने निम्नानुसार कहा है-

"चूंकि अपील याचिका अधिनियम की धारा 7(1) के उपबंध के लागू होने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं करती है इसलिए प्रधान मंत्री कार्यालय ने कानून के अनुसार कार्रवाई की है..."

3024/13 - 28/6/13.

27 JUN 2013

3024/13

URGENT
RTI ACT
Diary No. 10174
& Date 27/06/13
Last Date For ... 02/07/13

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी,
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत सरकार, नई दिल्ली।

'आर॰टी॰आई॰'
दिनांक-26-06-2013

विषय: जन सूचना कानून अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, निम्नवत सूचनायें, उत्तराखंड से आयी प्राकृतिक आपदा में फसे हजारों लोगों के जीवन से संबंधित होने के कारण, 48 घंटे में उपलब्ध कराये जाने को, आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, निम्नवत सूचनायें (जानकारीयां) अतिशीघ्र कार्य॰ को शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जायें।

1• दिनांक 15 जून 2013 से, उत्तराखंड राज्य में बादल फटने, भारी वर्षा होने, आदि कारणों से केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री, आदि स्थानों पर आयी भीषण आपदा में सभी स्थानों पर (पहाड़ी क्षेत्रों, गावों, मार्गों, नदीयों, जंगलो) बाहरी व क्षेत्रीय कुल कितने लोग अनुमानित संख्या में जीवित फसे हैं, कितने लोगों के मृत हो जाने के प्रमाण हैं मृतकों के पुरुष, महिला, बच्चों की श्रेणी अनुसार सं॰ क्या हैं, दिनांक 25-06-2013 तक की प्राप्त सूचनायें उपलब्ध करायी जायें। इस आपदा के उपरान्त प्रथम दृष्टा, त्वरीत बचाव कार्यों के क्रम में, सरकार द्वारा, किस-किस विभाग, सरकार, एजेन्सी के माध्यम से क्या कार्य किये जा रहे हैं, क्या कार्य योजना है, इस आपदा के उपरान्त आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का मा॰ प्रधान मंत्री, के दौरा (हवाई निरीक्षण) करने के पश्चयात, प्रधानमंत्री जी की ओर से राहत, बचाव, आस्कमात हुई आपदा के कारण, आदि को क्या कार्यवाही व घोषणायें की गयी है, इस सभी की पूर्ण जानकारीयां प्रदान करें।

2• उत्तराखंड राज्य में आयी इस प्राकृतिक आपदा से पूर्व, देश के किसी भी सरकारी विभाग, एजेन्सी, मंत्रालय आदि ने क्या कोई सूचना, संकेत (जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के) दीये थे आदि दिये तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की, मा॰ प्रधानमंत्री जी की सीधी अध्यक्षता, निगरानी, व सरकार के अन्तर्गत आने वाली ऐसी कितनी एवं कौन-कौन, सी समितियां गठित हैं, जो प्राकृतिक आपदा, प्रबन्धक, जल-वायु परिवर्तन संबंधी आपदा, पूर्व या उपरान्त कार्य करती हैं, तथा उत्तराखंड आपदा के पूर्व या उपरान्त ऐसी कौन-कौन, एजेन्सी ने क्या बचाव, आदि अपने दायित्व अनुसार क्या-क्या कार्य..... आगे पृष्ठ 2 पर

(signature)

77600 8- IPO No. 14F 444584 (10/-) (1.) पृष्ठ 01 से 2 तक

(Margin notes: The applicant ... sought info in 48 hrs. ... May be ... FIP ... May be sealed ... SE ... MHA ... MHA)

किये, इसका पूर्ण स्पष्ट ब्यौरा सूचनायें प्रदान करें।

3 • उत्तराखंड की इस प्राकृतिक आपदा में राज्य के कितने गांव, क्षेत्र, आपको पत्र प्राप्त होने तक त्रासदी से प्रभावित हुए हैं, उन क्षेत्रों को सर्वांगीण पुनर्वास हेतु क्या त्वरित कार्य योजना है? सूचनायें प्रदान करें।

MHA

4 • मा० प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, जलवायु परिवर्तन पर गठित परिषद, आपदा प्रबन्धन को लेकर गठित एक उच्चस्तरीय समिति, एवं पी.एम. की अध्यक्षता वाले योजना आयोग के भीतर भी पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को लेकर एक अलग से गठित समिति, सहित संभवत ये तीन समितियां हैं, सूचनायें प्रदान की जायें की उक्त तीनों समितियों का गठन किस कारण और क्यों किया गया, प्रत्येक समिति का नाम, उसके सदस्य आदि, स्थापना की दिनांक, प्रक्रिया, उसके दायित्व, उसने अपने कर्तव्यों के अनुसार अब तक क्या-क्या, निर्णय लिये, सरकार को क्या-2, सुझाव दिये तथा सुझावों एवं निर्देशों के उपरान्त केन्द्र सरकार व राज्यों के संबंधीत विभागों ने उनका अनुपालन किया अथवा नहीं, समितियों के द्वारा स्वयं सरकारों को दिये सुझावों पर निगरानी, आदि किया गया या नहीं, समितियों के कार्यकाल सहित पूर्ण सूचनायें प्रदान की जायें।

MHA NDM DM(I)

5 • देश के किसी भी क्षेत्र में, इस प्रकार की प्राकृतिक त्रासदी के कारणों को जानने, उनके उपाय को प्रभावी क्रियाँवित करने, त्रासदी पूर्व संकेत प्राप्त करने, तथा त्रासदी के बाद बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी सभी आपदाओं से निपटने, आदि को सरकार की प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में क्या कार्य योजनायें व जानकारीयां हैं, सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायें।

MHA NDM DM(I)

6 • देश के किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की प्राकृतिक एवं आयोजित, त्रासदी भविष्य में न हो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्ययोजना है, जानकारियां दें।

MHA

नियमानुसार 10 रु० का पो० आर्डर संलग्न है, आवेदन के सन्दर्भ में यदि कुछ अन्य अपेक्षित हो तो तत्काल सूचित करें। धन्यवाद।

संलग्न:
10 रु० का पो० आर्डर
नं० 14F 444589

आवेदक:-
[signature]
(पं० विकास शर्मा)
सामाजिक कार्यकर्ता
1520, श्री चण्डी रोड, कृष्णगंज
पिल खुवा-245304 (हापुड़)
उ० प्र० (भारत)
M. 09837524788

(2) पृष्ठ० सॊ० संलग्न!

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

31 JUL 2013

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 29 जुलाई, 2013

31 JUL 2013

सेवा में,
पं. विकास शर्मा,
1520, श्री चण्डी रोड, कृष्णगंज,
पिलखुआ (हापुड़)
उत्तरप्रदेश-245304

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 12.07.13 को प्राप्त अपने दिनांक 26.06.13 के आर.टी.आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखंड से संबंधित सूचनाएं मांगी गई हैं।

2. इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया जाता है कि विप्राकृतिक आपदाओं के आने पर आवश्यक बचाव एवं राहत कार्य करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राहत का वितरण करने का उत्तरादायित्व भी संबंधित राज्य सरकार का हैं। स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपेक्षित संभारतंत्र संबंधी एवं वित्तीय सहायता मुहैया करवा कर भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार के प्रयासों में समय-समय पर मदद करती रहती है। राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तत्कालिक प्रकृति के राहत उपायों हेतु राज्य को दो योजनाओं अर्थात् राज्य आपदा कार्रवाई (एस डी आर एफ) तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन डी आर एफ) के तहत वित्तीय सहायता मुहैया करावाई जाती है। राज्य के एस डी आर एफ/एन डी आर एफ में आबंटन संपूर्ण राज्य के लिए सभी अधिसूचित आपदाओं के लिए किया जाता है तथा यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मदारी है कि वह प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर स्थिति की गंभीरता के अनुसार निधियां आबंटित करे व एस डी आर एफ कोष से व्यय करे, यह भी सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को सभी राज्यों एवं संबंधित मंत्रालयों को एस डी आर एफ एवं एन डी आर एफ के गठन एवं प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे। यह दिशानिर्देश गृह मंत्रालय की वेबसाइट *www.ndmindia.nic.in* पर उपलब्ध है।

3. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अधोहस्ताक्षरी का यह कहना है कि मांगी गई सूचनाओं का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/प्राधिकरण से है। अतः उक्त आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों/प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे उपर्युक्त विभाग से संपर्क स्थापित करें।

क्रमशः2/-

4. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम-।)
टेलीफोन-23438123

प्रतिलिपि संलग्नको सहित निम्नलिखित को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव,
   उत्तराखंड सरकार,
   देहरादून
2. सचिव
   पर्यावरण एवं वन मंत्रलाय,
   पर्यावरण भवन,
   सी.जी.ओ.काम्पलैक्स,
   लोधी रोड,
   नई दिल्ली-11003
3. सचिव
   राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण,
   एन.डी.एम.ए. भवन,
   ए-1, सफदरजंग इन्क्लेव,
   नई दिल्ली
4. निदेशक
   एन.डी.एम.-।। अनुभाग,
   आपदा प्रबन्धन प्रभाग, गृह मंत्रालय
   एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जयसिंह रोड,
   नई दिल्ली।
5. निदेशक
   एन.डी.एम.-।।। अनुभाग,
   आपदा प्रबन्धन प्रभाग, गृह मंत्रालय,
   एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जयसिंह रोड,
   नई दिल्ली।

उक्त आवदेक के आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पर तुरंत कार्यवाही कर प्रार्थी को सीधे सूचना उपलब्ध कराये और उसकी एक प्रतिलिपि इस मंत्रालय को भी भेजने का श्रम करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:-

1. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री सैयद इकराम रिज़वी, उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी), साउथ ब्लाक, नई दिल्ली। (आपके कार्यालय ज्ञापन संख्या- आर.टी.आई/3024/2013-पीएमआर दिनांक 01.07.13)

आर.टी.आई अनुभाग, (श्री एस. सामंत, अवर सचिव), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या 43020/01/2013-आर.टी.आई दिनांक 09.07.13)।

TS/DS(DM-I)
18/7

F.No. 47-14/2013-NDM-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

'B' Wing 3rd Floor, NDCC-II Tower
Jai Singh Road, New Delhi-110001

Dated the 15th July, 2013

To,

Shri Gautam Ghosh
Deputy Secretary (DM-I),
Ministry of Home Affairs

Subject: Transfer of Application received under the RTI Act, 2005 of Shri Pawan Agarwal Under Section 6(3) of the RTI Act-reg.

I am to say that Shri Pawan Agarwal vide his letter dated 28.6.2013 (received in this DM-II Division On 15.7.2013) on the above mentioned subject.

2. As the information sought by the applicant is maintained in your Division, his application is transferred to you Under Section 6(3) of RTI Act, 2005 for taking necessary action.

Yours faithfully,

(Ashok Shukla)
Deputy Secretary (DM-II) & CPIO
Telefax: 23438071

Copy for information to : 1. Shri Pawan Agarwal, Jilal Street Mandi Chowk, Muradabad, Uttarpradesh.
2. RTI Cell Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi w.r.t. No. A-43020/01/2013-RTI Dated 8.7.2013

TD(DM)
G
18/7

15/7/13

47-14/2013

<u>आर टी आई मामला/समयबद्ध</u>

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 8/07/, 2013

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल का दिनांक 28/06/2013 का आवेदन (अंतरण द्वारा इस मंत्रालय प्रधान मंत्री कार्यालय से में दिनांक 05/07/2013 को प्राप्त) सूचना मुहैया करवाने के लिए आपदा प्रबन्धन प्रभाग को अंतरित करने का निदेश हुआ है क्योंकि मांगी गई सूचना का उक्त प्रभाग के कार्यों से निकटतम रूप से संबंध हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए, आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को आगे अंतरित कर दिया जाए।

प्रधान मंत्री कार्यालय में जमा कर दिया है।

3. आवेदक ने 10/- रु. के अपेक्षित आवेदन शुल्क ~~का दिनांक _____/_____/2013 की रसीद संख्या_____ के तहत भुगतान~~ कर दिया है (प्रति संलग्न)/~~नहीं किया है क्योंकि वह गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) की श्रेणी का होने का दावा करता है/से संबध रखता है।~~

<u>संलग्नक:</u> यथोपरि।

सु. सामंत
(एस सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (डी एम-II)
गृह मंत्रालय
एन.डी.सी.सी-II भवन
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

श्री/~~श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल,
जौलाल स्ट्रीट मण्डी चौक
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

(उनसे इस मामले में आगे की सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपर उल्लिखित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है)

P. 39501/11/1 03.07. C -129536/JS(A)/13 4/7/13

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/3083/2013-पीएमआर दिनांकः 02.07. 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री पवन अग्रवाल से प्राप्त दिनांक 28.6.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.7.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☏: 2307 4072

JS(A)
JS(DM)

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री पवन अग्रवाल
नि0 जीलाल स्ट्रीट
मण्डी चौक, मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

4495/RTI/2013
8/7/13

Dir(DM-I)

3083/13

3083-13-250713 04

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रधानमंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सूचनायें प्राप्त करना चाहता है इस बाबत निर्धारित शुल्क अंकन 10/— रू0 का पोस्टल आर्डर संख्या—17F879307 साथ में सलग्न कर प्रस्तुत है।

1. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में जो धनराशि एकत्रित हुई उसकी सूचना उपलब्ध कराये।

2. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में जो धनराशि एकत्रित हुई उक्त धनराशि के वितरण में जो विधि अपनाई जा रही है उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।

3. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में से जो धनराशि वितरित की गयी उसके उपभोग प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराये।

अतः प्रार्थना है कि समस्त सूचना बिन्दुवार मय प्रमाणित प्रति के समय अन्तर्गत प्राप्त कराने की कृपा करें।

दिनांकः— 28.06.2013

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

आवेदक Pawan

(पवन अग्रवाल)
आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट
नि0— जीलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक, मुरादाबाद।
मो0— 9457685465

10239
01/07/13
06/07/13

IPO No. 17F 879307 ₹ 10/-

377757

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 29 जुलाई, 2013

3 1 JUL 2013

सेवा में,

श्री पवन अग्रवाल,
नि0- जीलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक
मुरादाबाद

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 18.07.13 को प्राप्त अपने दिनांक 28.06.13 के आर.टी.आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखंड से संबंधित सूचनाएं मांगी गई हैं।

2. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बिंदु संख्या 1 एवं 3 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि मांगी गई सूचनाएं इस विभाग से संबंधित नहीं है। क्योंकि मांगी गई सूचना का संबंध मुख्य सचिव उत्तराखंड से है। अतः आवेदन को मुख्य सचिव उत्तराखंड को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे उर्पयुक्त विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन,
जयसिंह रोड,
नई दिल्ली-110001

गौ घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम-।)
टेलीफोन-23438123

क्रमशः2/-

प्रतिलिपि संलग्नको सहित निम्नलिखित को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	उक्त आवदेक के आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पर तुरंत कार्यवाही कर प्रार्थी को सीधे सूचना उपलब्ध कराये और उसकी एक प्रतिलिप इस मंत्रालय मंत्रालय को भी भेजने का श्रम करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतू:-

एन.डी.एम.-।। अनुभाग, (श्री अशोक शुक्ला, उप सचिव) डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या 47-14/2013-एन.डी.एम-।। दिनांक 15.07.13)।

Singh 31/7/13